भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 972

जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

नई पेंशन योजना

972. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना शुरू की है;

(ख) क्या यह सच है कि विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो पहचान किए गए विवादास्पद मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और उनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 24.03.2023 को की गई घोषणा के अनुसार, राजकोषीय निहितार्थ और समग्र बजटीय विस्तार पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को संशोधित करने के उपाय का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के स्टाफ पक्ष और राज्य सरकारों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समिति की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 24.08.2024 को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को अनुमोदित कर दिया। यूपीएस को दिनांक 01.04.2025 से लागू करने के लिए दिनांक 24.01.2025 को अधिसूचित किया गया है। यूपीएस की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

i. 25 वर्षों की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए अधिवर्षिता से पहले के पिछले 12 महीनों में आहरित औसत मूल वेतन के 50% की दर से सुनिश्चित भुगतान। यह भुगतान 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा तक के लिए समानुपातिक कम सेवा अवधि के अनुपात में होगा।

ii. जीवित पति या पत्नी को कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन के 60% की दर से सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान।

iii. न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान।

iv. सुनिश्चित भुगतान, सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान और सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान के संबंध में मुद्रास्फीति सूचकांक। सेवारत कर्मचारियों के मामलों के सदृश्य औद्योगिक कामगारों से संबंधित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित होगी महंगाई राहत।

v. अधिवर्षिता की तारीख को उपदान के अलावा अधिवर्षिता तक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए मासिक परिलब्धियों (वेतन + महंगाई भत्ता) के 1/10 वें हिस्से की दर से एकमुश्त भुगतान, इस भुगतान के कारण सुनिश्चित भुगतान की मात्रा कम नहीं होगी।

******